KOLHAN UNIVERSITY
CHAIBASA, WEST SINGHBHUM
Jharkhand, Pin : 833201
Phone No. 06582-255274

Ref. No: KU/R/...94...../19 Date : .24.01..19

Notice

This is to bring to the notice to all concerned teachers that applications in respect of date shifting and promotion are invited, in light of the Broad Guidelines issued by the Deptt. of HTE & SD, Govt. of Jharkhand, Ranchi, vide Notification No.- 05 dt.- 14.12.18 and Memo No.- 2409 dt.- 14.12.18. The applications should reach the Undersigned within five days of the date of issuance of this notice.

A copy of the Guidelines and the Check Slip for promotion is uploaded in the University's website, alongwith this notice, for easy reference.

Check Slips for different categories for promotion are available in the J.P.S.C's website, www.jpsc.gov.in, which can be downloaded for submission with the applications.

24.1.19
Registrar
Kolhan University, Chaibasa

24.01.19

Scanned by CamScanner

Form No.- CAS (Const.) - 01

For University/Constituent College only
(Para 1.6.0 of the Statute)

Check Slip for Promotion of Lecturer to the post of Lecturer (Senior Scale) Under Career Advancement Scheme vide Gazette Notification No.- 486 Dt. 26.06.2008 of Human Resource Development Department, Ranchi.

Validity 27.07.1998 to 31.12.2008

(To be filled and forwarded by University) (Para-2.3.3 of the statute)

(In case of incomplete or ambiguous information, it will not be entertained by JPSC.)

1- Name of the candidate : ______________________

2- Subject : ______________________

3- (i) Name of the Univ. Department/College : ______________________

(ii) It is University Department or Constituent College: ______________________

If constituent College mention date on which College may Constituent: ______________________

4- Name of the University : ______________________

5- (a) Date of substantive appointment as lecturer (Para 2.1.0 (b) of the statute) :

(i) Date of affiliation – | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

(ii) Date of post creation – | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

(iii) Date of confirmation as lecturer – | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

(b) Whether the candidate holds the qualification as prescribed for the post of lecturer under the statute at the time of his appointment – Yes ☐ No ☐

(c) Date of Recommendation of the commission for the post of lecturer- | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
(Enclose letter of the commission)

6- Educational Qualification of the Candidate :-

Examination	Board/University	Subject	Year of Passing	Division/Class	% of Marks
Matric					
Intermediate					
Graduation					
Post Graduate					
M.Phill					
Ph.D					

initial of Registrar

Scanned by CamScanner

7- (a) Computation of admissible period for promotion to Lec.(SS) (Para 1.1.0, 1.2.0 & 2.1.0 of the statute) –

SL	Particulars	From	To	Duration
i)	Period rendered in University department			Y Y M M D D
ii)	Period rendered in Degree college managed and maintained by University			Y Y M M D D
iii)	Period of past service (If any) according to para 10.0.0 & 10.2.0 of the statute			Y Y M M D D
iv)	Total admissible period under Career Advancement Scheme			D D M M Y Y

(8) Proposed date of promotion to the post of Lecturer (Sr. Scale) -
(As per para 2.1.0. of the statute) D D M M Y Y

(9) Assessment of performance for promotion to Lec.(SS) [Para 2.1.0(c)(d)of the statute] –

(a) Date of first orientation course (within proposed date of promotion) –

Date	Period	Venue

(b) Date of first refresher course, If applicable (within proposed date of promotion) –

Date	Period	Venue

or

Engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified or approved by the UGC (within proposed date of promotion) - ____________________

____

____

(c) Consistently satisfactory performance appraisal reports during the period of promotion as Lec.(SS) in the form to be approved by the chancellor for the purpose (As per para 2.1.0 (d) & 2.3.8 of the statute) :
(Fill up and enclosed Annexure-I)

10. Date of Promotion as Lecturer (Senior Scale) Recommended by Screening Committee (Original copy of the proceeding & chart of the Screening Committee need to be enclosed as per Para 2.3.2 of the statute: D D M M Y Y Y Y

Name of the candidate:

initial of Registrar

Scanned by CamScanner

11. Whether the proposal was ever rejected by the commission. Yes ☐ No ☐

If yes, give details with letter no. of the commission: ____________________

____

12. Whether the proposal is accordance to Para 2.3.3 of the statute – Yes ☐ No ☐

Certified that all information given above have been verified by me on the basis of record /documents, which are correct.

Date :-

Signature of Registrar
Seal :-

List of Enclosures:

Scanned by CamScanner

Annexure-I (See Sl. No. 9 (c) of Check Slip)
(See Para-2.3.8 of the Statute)

(a) Performance Appraisal records in Prescribed Performa. According to the Procedure and in the form to be approved by the Chancellor for the purpose.

Give details as follows :

Year	Whether Performance Appraisal records enclosed Yes/No	Remarks of the screening committee

Date :

Signature of Registrar

Seal :

Name of the candidate:

Scanned by CamScanner

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, तृतीय तल्ला, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002.

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–01/मु.1–134/2016 05 / राँची, दिनांक– 14/12/18

WP(S) No. 3375/2016 : दुखु राम कोयरी बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक–01.05.2017 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रोन्नति/नियुति एवं इसके कारण उत्पन्न हुई वेतन निर्धारण में विसंगति आदि के निराकरण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा Broad Guideline तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा Broad Guideline पर सहमति प्रदान की गयी है।

यह Broad Guideline निम्न विन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है:–

(क) प्रोन्नति के लिए नियुक्ति की किस तिथि को आधार माना जाय।

(ख) CAS योजना के तहत प्रोन्नति की तिथि क्या होगी।

(ग) दिनांक–31.12.2008 के बाद प्रोन्नति किस परिनियम के तहत होगी।

(क) प्रोन्नति के लिए नियुक्ति की तिथि की अनुमान्यता:–प्रोन्नति के लिए नियुक्ति की उसी तिथि को आधार माना जायेगा, जिस तिथि के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग से concurrence प्राप्त हुआ हो। झारखण्ड लोक सेवा आयोग से concurrence प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय महाविद्यालयों का निम्नवत् वर्गीकरण किया जाय:–

(i) सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये महाविद्यालय एवं 3rd phase तक अंगीभूत किए गए महाविद्यालय।

(ii) चतुर्थ चरण में अंगीभूत क़िए गए महाविद्यालय ।

प्रथम के लिए यदि शिक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोग/महाविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर की गई है तो उनके योगदान की तिथि को प्रोन्नति हेतु आधार माना जायेगा।

यदि शिक्षक का अन्तर्लीनीकरण (absorption) परिनियमों के अन्तर्गत हुआ है तो सेवा में योगदान के प्रथम तिथि को प्रोन्नति हेतु आधार माना जायेगा। शेष मामलों में substantive date of appointment ही प्रोन्नति के लिए आधार तिथि होगी। परन्तु इन तिथियों के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग का concurrence अनिवार्य होगा।

4th phase के महाविद्यालयों के मामलों में Justice Agarwal (Retd.) आयोग द्वारा उनके प्रतिवेदन–Vol-I(Page-64) पर उल्लेख किया गया है कि–

"The said list of teachers cannot be confined to the number of sanctioned posts in the College because for absorption of the services of teachers approval of the Bihar State University (Constituent College) Service Commission's necessary and the possibility of such approval being refused by the said Commission in respect of a teacher cannot be excluded."

14/12/18

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Justice Agrawal (Retd.) आयोग के इस प्रतिवेदन के अनुसार उन सभी शिक्षकों के मामले में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की सहमति अनिवार्य होगी, जिनका अन्तर्लीनीकरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

पुनः माननीय उच्चतमक न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–6098/97 राज्य सरकार बनाम् महासंघ मामले में पारित आदेश की कंडिका–73(3) में उल्लेख निम्नवत् है:–

"The members of the staff in various affiliated colleges identified and named in list No. (I) being appointees against the sanctioned posts shall be absorbed and formal order to that effect shall be issued by the Universities concerned."

उपर्युक्त आदेश से स्पष्ट है कि Justice Agarwal (Retd.) आयोग के अनुसार जो शिक्षक स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत हैं, उनके अन्तर्लीनीकरण किया जाना अनिवार्य है। चूंकि इनकी नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा mandated है, अतः इनकी नियुक्ति पर न तो विश्वविद्यालय, न ही कोई सेवा आयोग आपत्ति उठा सकता है। इस प्रकार इनके मामले में यदि विश्वविद्यालय द्वारा अन्तर्लीनीकरण के पश्चात् झारखड लोक सेवा आयोग से सहमति ली जाती है, तो ये मात्र एक औपचारिकता होगी।

पुनः जस्टिस एस0 बी0 सिन्हा (से0नि0) आयोग द्वारा जिन शिक्षकों के मामले में absorption का आदेश दिया गया है, वह व्यक्तिपरक है, अर्थात् प्रत्येक शिक्षक के मामले में पृथक आदेश पारित किया गया है एवं यह आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि इस श्रेणी के शिक्षकों के मामले में भी अन्तर्लीनीकरण के पश्चात् जे0पी0एस0सी0 से सहमति की कार्रवाई मात्र एक औपचारिकता होगी।

ऐसे में वैसे शिक्षक, जो जस्टिस अग्रवाल (से0नि0) आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत है एवं वैसे शिक्षक, जिनके अन्तर्लीनीकरण की अनुशंसा जस्टिस एस0 बी0 सिन्हा (से0नि0) आयोग द्वारा की गयी है, के मामले में जे0पी0एस0सी0 की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

वैसे शिक्षक, जो जस्टिस अग्रवाल (से0नि0) आयोग के प्रतिवेदन में R-I पद के विरूद्ध कार्यरत है, उनका अन्तर्लीनीकरण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा mandated नहीं है, बल्कि कुछ बंधेजों के साथ विश्वविद्यालय को इनका अन्तर्लीनीकरण का अधिकार दिया गया है।

चूंकि इन शिक्षकों की सेवा का अन्तर्लीनीकरण विश्वविद्यालय के विवेकाधिकार के अन्तर्गत किया गया है, अतः ऐसे शिक्षकों के मामले में झारखण्ड लोक सेवा आयोग की सहमति अनिवार्य होगी। जिन कर्मियों के लिए जस्टिस अग्रवाल कमीशन एवं जस्टिस एस0 बी0 सिन्हा कमीशन द्वारा date of eligibility/ date of appointment निर्धारित कर दी गयी है, उनके मामलों में प्रोन्नति के लिए वही तिथि आधार होगी। जस्टिस अग्रवाल (सेवा निवृत्त) आयोग द्वारा जिन मामलों में date of eligibility निर्धारित की गयी है उन मामलों में यदि शिक्षक द्वारा eligibility की तिथि को योगदान नहीं किया गया है एवं पद स्वीकृत है तो उस स्थिति में date of appointment ही प्रोन्नति का आधार होगा। पुनः यदि date of eligibility को sanction पद उपलब्ध नहीं है तो date of eligibility पद सृजन की तिथि से होगी।

जिन शिक्षकों की सेवा का अन्तर्लीनीकरण वर्ष 1990 के एक्ट–3 लागू होने के पूर्व की तिथि से किया जा रहा है, उनके मामले में जे0पी0एस0सी0 से सहमति की कार्रवाइ बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,

Scanned by CamScanner

1976 की धारा 57A 5(C) के आलोक में की जायेगी एवं जिन शिक्षकों की सेवा का अन्तर्लीनीकरण वर्ष 1990 के एक्ट 3 के लागू होने की तिथि के बाद की तिथि से किया जाता है, उनके मामलों में जे०पी०एस०सी० से सहमति की कार्रवाई झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा–57A 4(C) के आलोक में की जायेगी।

वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति उपर्युक्त दोनों आयोगों द्वारा अनुशंसित नहीं है, उनके मामले में विश्वविद्यालय द्वारा case to case absorption के बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा। परन्तु इनके मामले में भी झारखण्ड लोक सेवा आयोग का concurrence अनिवार्य होगा।

(ख) CAS योजना के तहत् प्रोन्नति की तिथि:–

Career Advancement Scheme (CAS) जिसे नए CAS के नाम से जाना जाता है, दिनांक– 27.07.98 के प्रभाव से लागू है। पुनः सरकार के संकल्प संख्या 1188 दिनांक–20.11.2010 द्वारा इसकी समय सीमा दिनांक–31.12.2008 तक निर्धारित है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिये गये निर्णय जो दिनांक–30.06.2010 को अधिसूचित है, के आलोक में सरकार द्वारा CAS योजना अन्तर्गत Orientation/Refresher की अवधि को दिनांक–31.12.2013 तक विस्तारित किया गया है।

यदि किसी शिक्षक की प्रोन्नति हेतु सेवा अवधि दिनांक–31.12.2008 के पूर्व है, परन्तु Orientation/Refresher Course दिनांक–31.12.2008 के बाद, परन्तु 31.12.2013 के पूर्व किया जाता है, तो उनकी प्रोन्नति की तिथि वही होगी, जिस तिथि को उनकी प्रोन्नति की सेवा अवधि पूरी होती है।

पुनः वैसे शिक्षक, जिनके प्रोन्नति की सेवा अवधि 31.12.2008 के पूर्व है, परन्तु उनके द्वारा Orientation/ Refresher Course विस्तारित अवधि 31.12.2013 के बाद किया जाता है, तो वैसी स्थिति में प्रोन्नति की तिथि Orientation/ Refresher Course पूरा करने की तिथि से लागू होगी। पुनः Lecturer से Lecturer Senior Scale में प्रोन्नति हेतु Orientation/Refresher की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि शिक्षक को इस शर्त्त के साथ प्रोन्नति दी जायेगी, कि वे विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक वांछित संख्या में Orientation/Refresher पूरा कर लें। यदि शिक्षक वांछित संख्या में Orientation/Refresher पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें अगली प्रोन्नति नहीं दी जायेगी।

(ग) दिनांक–31.12.2008 के बाद प्रोन्नति :–

वैसे शिक्षक, जिनकी प्रोन्नति हेतु समयावधि 31.12.2008 के बाद पूरी होती है, उन्हें विभागीय संकल्प संख्या–1188 दिनांक–20.11.2010 की कंडिका–16 में लिये गये निर्णय के आलोक में यू०जी०सी० रेगुलेशन, 2010 के प्रावधानों के अनुसार प्रोन्नति दी जायेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय परिनियम गठित कर विभाग को उपलब्ध करायेगा, तदोपरांत विभाग द्वारा माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति की सहमति प्राप्त कर विश्वविद्यालयों को संसूचित किया जा सकेगा।

2. WP(S) No. 3375/2016 : दुखु राम कोयरी बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–01.05.2017 को पारित न्यायादेश की कंडिका–17 के अनुपालन में हो रही व्यवहारिक कठिनाईयों के मद्देनजर महाधिवक्ता, झारखण्ड के परामर्श के आलोक में उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्णय

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

लिया गया कि रीडर से प्रोफेसर में प्रोन्नति हेतु Time Bound Promotion Scheme की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।

3. प्रस्ताव एवं विस्तृत मार्गदर्शन पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–06.12.2018 में मद संख्या 20 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

14/12/18
(डेविड दानिएल तिर्की)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–2/वि.1–162/2017 2409 / राँची, दिनांक 14/12/18 /

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/ई–गजट, नोडल पदाधिकारी, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

14.12.18
(डेविड दानिएल तिर्की)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/वि.1–162/2017 2409 / राँची, दिनांक– 14/12/18 /

प्रतिलिपिः– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.12.18
(डेविड दानिएल तिर्की)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/वि.1–162/2017 2409 / राँची, दिनांक– 14/12/18 /

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.12.18
(डेविड दानिएल तिर्की)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/वि.1–162/2017 2409 / राँची, दिनांक– 14/12/18 /

प्रतिलिपिः– कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद/डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.12.18
(डेविड दानिएल तिर्की)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/वि.1–162/2017 2409 / राँची, दिनांक– 14/12/18 /

प्रतिलिपिः– सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/उच्च शिक्षा के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.12.18
(डेविड दानिएल तिर्की)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner